राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 47/2024 प्रा0पत्र

अनवान

डालूराम पुत्र कालूराम जाति माली, आयु 60 वर्ष निवासी मादा की बस्सी, ग्राम पंचायत नरदास का गुढ़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.....प्रार्थी

बनाम

01. केंरिग पुत्र शेषू जाति माली, आयु 65 वर्ष निवासी मादा की बस्सी, ग्राम पंचायत नरदास का गुढ़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश आचार्य
02. अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 तथा धारा 151 जा.दी.

—:निर्णयः— दिनांक 23/2/2026

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 तथा धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की काश्त भूमि मौजा मादा की बस्सी, पटवार हल्का नरदास का गुढ़ा, तहसील भीम में स्थित है जिसके पुराने आराजी खसरा संख्या 405 होकर नए खसरा संख्या 539 रकबा 0.1400 है0 किस्म चाही उत्तम है जो कि कदीम से प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही है और विगत 200 वर्षों से भी अधिक समय से प्रार्थी एवं उसके पूर्वज उक्त आराजियात पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पास ही मौजा मादा की बस्सी में अप्रार्थी संख्या 01 की काश्त भूमि आई हुई है। जिसके पुराने आराजी खसरा संख्या 407 होकर नए खसरा संख्या 541 रकबा 0.1500 है0 किस्म चाही उत्तम है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पूर्वज अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त करते रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 की उपरोक्त आराजी खसरा संख्या 541 रकबा 0.1500 है0 भूमि के पश्चिम दिशा में आम रास्ते की ओर करीब 03 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थी की आराजी ख.सं. 539 का हिस्सा है और पारिवारिक बंटवाड़ें अनुसार प्रार्थी के पूर्वजो के हिस्से में आई हुई है जिस पर प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का

Scanned with OKEN Scanner

करीब 200 सालों से निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके चलते प्रार्थी ने आज से करीब 40 वर्ष पूर्व लाखों रूपए खर्च कर उसे उपजाऊ एवं उन्नत बनाने हेतु उक्त भूमि पर पत्थरों का कोट लगाकर उसमें करीब 150 ट्रॉली मिट्टी डलवाई और उसमें नीम, केले, नीम्बू, कनेर, गूंदी एवं ईमली इत्यादि के पेड़ लगाए और बिना किसी रोकटोक एवं बाधा के उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

हाल ही में राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाईजेशन हो जाने के कारण प्रार्थी के कब्जे काश्तशुदा 03 बिस्वा भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि से लगी हुई है उसे वर्तमान डिजिटल नक्शे में अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 541 के साथ जोड़ कर दर्शा दिया है, जबकि उक्त 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 539 का हिस्सा है और उक्त भूभाग पर प्रार्थी का 200 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने उक्त कब्जे काश्त की भूमि को उन्नत व उपजाऊ करने के लिए लाखों रूपए खर्च कर उस पर अच्छे फलदार वृक्ष लगवाए जिससे उक्त भूमि की कीमत बढ़ जाने से अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि को प्रार्थी से छीनना चाहता है और आए दिन मौके पर लडाई–झगड़ा करता है तथा पुलिस थाना दिवेर में उक्त भूमि को अपना बता कर झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर पुलिस से नाजायज रूप से पाबंद करवाता है जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कोई स्वामित्व, हक–अधिकार एवं कब्जा नही रहा है वह मात्र राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाइज्ड नक्शे को आधार बना कर प्रार्थी पर बाहुबल एवं पुलिस का नाजायज दबाव बना कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि को बगैर किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए पुलिस का दबाव बना कर नाजायज रूप से अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसके पारिवारजनों से लड़ाई–झगड़ा करते हैं व खेत पर जाने से रोकते है बार–बार पुलिस से पाबंद करवा कर खेत में काम करने से रोक रखा है जिससे प्रार्थी की खड़ी फसल एवं वृक्ष इत्यादि को भारी नुकसान हो रहा है और बगैर देखरेख के वह नष्ट हो रहे हैं और अप्रार्थी की हरकतों से प्रार्थी एवं उसके परिवारजन अत्यंत हैरान परेशान है।

अप्रार्थी संख्या 01 के पास उसकी काश्त भूमि आराजी खसरा संख्या 541 में दर्शित क्षेत्रफल का पूर्ण कब्जा है, वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कोई कब्जा काश्त नही रहा है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 539 का ही हिस्सा है जिस पर प्रार्थी एवं उसके पूर्वज ही विगत 200 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और वर्तमान में उसके चारों ओर पक्की चारदीवारी लगी हुई है और उसमें बड़े–बड़े फलदार वृक्ष लगे हुए हैं मौका स्थिति से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि से बिल्कुल अलग है जो कि उसके कब्जे काश्त में नही रही है उक्त भूमि पर प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है कभी भी प्रार्थी के निर्बाध कब्जे में किसी का कोई दखल एवं हस्तक्षेप नही रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि का वास्तवित स्वामी हैं। साथ ही उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अब प्रार्थी बतौर काश्तकार मालिक बन चुका है। यह कि प्रथमतः वादग्रस्त 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी की काश्त भूमि आराजी खसरा संख्या 539 का ही भूभाग है जो प्रार्थी के पूर्वजों को उनके पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुआ है और प्रार्थी एवं उसके पूर्वज पिछले 200 वर्षों से भी अधिक समय से उपरोक्त भूमि पर काबिज हो बिना किसी बाधा एवं रोक–टोक के सभी की जानकारी में अपने स्वत्व व खातेदारी अधिकारों की खुली घोषणा करते हुए बतौर काश्तकार उसका उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा द्वितीयक रूप से प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

का उक्त वादग्रस्त 03 बिस्वा भूभाग पर विगत 200 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा होने से और वह एवं उसके पर्वूज उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग बिना किसी बाधा व बिना किसी रोक–टोक के सभी की जानकारी में अपने स्वत्व व खातेदारी अधिकारों की खुली घोषणा करते हुए उपरोक्त आराजियात पर फसल बोने, काटने एवं खेतों से उपज प्राप्त करने सहित उसका बतौर काश्तकार उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा उपरोक्त आराजियात पर प्रार्थी का निरंतर आधिपत्य रहने से प्रार्थी मुखालपाना कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमि का खातेदार मालिक बन चुका है जिससे अब उक्त वादग्रस्त 03 बिस्वा भूभाग का रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम एवं नक्शे में वादग्रस्त भूभाग की स्थिति को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 16.07.2024 को अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा तथा जवाब मूल प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि –

- यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश होने से प्रार्थी का वाद विफल होगा।
- यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 11 गलत होकर अस्वीकार है।
- यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 12 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है तथा अन्त में प्रार्थी अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
- यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का कभी भी खसरा संख्या 541 पर पूर्व में खातेदार छगु पिता सेसु व छगु के पूर्वजों के नाम पर होकर कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में खसरा संख्या 541 का अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार होकर, खसरा संख्या 541 अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पर है और अप्रार्थी संख्या 01 का ही कब्जा काश्त है।
- यह कि प्रार्थी का खसरा संख्या 539, अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 541 से काफी दूरी पर स्थित होकर खसरा संख्या 539 व 541 के मध्य खसरा संख्या 540 स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 541 कभी भी प्रार्थी के खसरा संख्या 539 का हिस्सा नही रहा है।

अतः अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

03. अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब की प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराए वही अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराते हुए साथ में खसरा संख्या 541 पर स्वयं के कब्जे के फोटोग्राफस पेश किए। हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–2077 डिजिटलाईज नक्शे की प्रति, साबिक नक्शा ट्रेस व खसरा मिलान 1350 फसली एवं साबिक जमाबंदी नकल की प्रति एवं अप्रार्थी के शपथ पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। **<u>प्रथम दृष्टया</u>** चूंकि प्रार्थी ना ही खसरा संख्या 541 का रिकॉर्डेड खातेदार है ना ही प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 539, वादग्रस्त खसरा

Scanned with OKEN Scanner

541 में संलग्न है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का नही है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का नही होने से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के नही है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 23/2/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द